



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्य प्रदेश शासन,  
इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं  
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें  
दिनांक 01.04.2024 से

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024  
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन  
अदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट  
[www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024

एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन

आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन एवं  
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें  
दिनांक 01.04.2024 से

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 14567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024


**अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 14.567...816 दिनांक 24.05.24 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माहों का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर  $(400-386)= 14$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $(25 \times 14) = 350/-$  प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(400-241) = 159$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये  $(25 \times 159) = 3975/-$  प्रतिमाह या  $(3975 \div 26)$  रुपये 152.88 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(400-253) = 147$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(25 \times 147) = 3675/-$  प्रतिमाह या  $(3675 \div 26)$  रुपये 141.35 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

### अनुसूची - अ

67) अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2024 से देय							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	अर्द्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
8435	324.42	3675	139.42	12060	463.85	464	कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

#### स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी घुन लगाने तथा वन उपज में नियोजन	
3	किसी मार्गों के निर्माण या सफाई या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन	
12	किसी ग्लास पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित हैं, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन	
19	किसी घूना भट्टे में नियोजन	
20	किसी ईट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पावरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हैं, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी प्रांटीज जिसमें रिफ्रेकटरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सीमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित हैं, में नियोजन	
26	किसी कैंसिल निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी कच्चा उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बोनमिल में नियोजन	
32	किसी टाइल्स, जिसमें मँगलौर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य पविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पैथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित हैं, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट: शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़, भुरम, लेटाईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेत, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलस, अथे और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाइल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरजेस में नियोजन
41	किसी बैंकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेट्रों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसयानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या टयूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलाना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलाने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी सूचक बड़ी पापंड तथा ऐसे ही खोद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी ट्राईको एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्य में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
भाग - दो	
1	कृषि में नियोजन

(स्त्वंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

### स्पष्टीकरण


1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
  - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
  - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
  - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।



उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह हैं, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

  
(स्तवत्र कुमार सिंह)

श्रम आयुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर



**अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-**

**अकुशल -**

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिंशती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, ट्हीकल अटेण्डेंट, फहरेदार, कुली, डाक रनर, वोचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, ड्रपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस्ड वेंडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याठ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कोटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, काडिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, दुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वाई सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड़डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉण्डीमेन, वाशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूम अटेन्डेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, ब्राटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफटर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

**अर्द्ध कुशल -**

टार स्पेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरीर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाइजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेशीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपे्लर मेन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलेर, स्टीपर फोलेर, हेडफोलेर, काटाफोलेर, गांठवाला, सहायक जांचर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाइजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कर्तव्य, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, भुशी, फॉर्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिंक्रुरिटी सुपरवाइजर, क्रांपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेंट, पम्प खलासी, ड्रपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैत

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेंडसा ऑपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेंडसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डाकरूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थेसर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माइयूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

### कुशल -

गोताखोर, शोयेल एण्ड ग्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर, मास्टर, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, इम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सो चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाईड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, वल्कनाइजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, गौसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शोयल, बेलसिकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटीकोपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्चुरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सैनिटरी नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वाडन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर, मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्रशर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जैकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डीजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेन्लर ऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वैंडर्स, पेटस मेकेनिक कम आपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आम्ड सिक्चुरिटी गाईड, वाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओघर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, लार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोंप मेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एन्माइजर, डाटा एंटी ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंधने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जेनियरमिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाइजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

### उच्च कुशल -

मेडिकल एव इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साइन्टिफिक ऑफिसर एव अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

### किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

#### उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

#### लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेन्ट, केशियर आदि।

#### लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि।

#### कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

#### कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

कैमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

#### कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाइन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कॉपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट्टा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मेकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर घुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपसेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर-कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर वाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आक्विजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अर्टडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट्टा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।



(स्तवंत्र कुमार सिंह)

श्रम आयुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर



## अनुसूची - ब

## किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2024 से देय							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397	पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506	रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्च कुशल कटर्स	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
								10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

## स्पष्टीकरण -

- 1-मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2-अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- 3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

je


**अनुसूची - स**  
**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2023 से देय							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						रुपये	लिपिकीय वर्ग							रुपये
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
							कुशल श्रेणी							
9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512	श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500	श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
							अर्द्ध कुशल श्रेणी							
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

**स्पष्टीकरण -**

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/वार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- अकुशल श्रेणियों के लिए दशाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरी सिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रेणियों के लिए अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबन्ध प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस पथपर अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दिशा में क्या नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

  
(स्यंतव कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

### अनुसूची - क

मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में उपर्युक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2024 से देय							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328	अकुशल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
7057	235.23	3625	120.83	10687	356.07	356	अर्द्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	407	कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445	उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

#### स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर



**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 2/11/अन्व/पांच/2024/ 14817 - 15066


इन्दौर, दिनांक 24.05.2024

**अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जुलाई, 2023	1215
अगस्त, 2023	1224
सितम्बर, 2023	1226
अक्टूबर, 2023	1241
नवम्बर, 2023	1253
दिसम्बर, 2023	1257
औसत सूचकांक	$7416 \div 6 = 1236$ (1236)

तथा इनका औसत 1236 घोषित करता हूँ जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्ये./पांच/2024/114817-15066 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 रहा है। गत छः माहों का औसत 1180 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1180 के उपर (1236-1180)= 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (6X56)= 336/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के उपर कुल उभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1236-768) = 468 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (468X6)= 2808/- प्रतिमाह या (2808÷30) रुपये 93.60 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2808= रुपये 8158/- तथा 8158÷30= रुपये 271.93 (राउण्ड-अप रुपये 272/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- द के लिए)।


**अनुसूची - द**  
**कृषि में नियोजन**

**मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)**

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							दिनांक 01.04.2024 से देय							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261	अकुशल कृषि श्रमिक	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272


**स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-**

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 6/- (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर



**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024/

15067-316


इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

**अधिसूचना**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1	जनवरी, 2023	8730.09
2	फरवरी, 2023	8723.51
3	मार्च, 2023	8762.95
4	अप्रैल, 2023	8822.12
5	मई, 2023	8854.99
6	जून, 2023	8966.74
7	जुलाई, 2023	9183.68
8	अगस्त, 2023	9150.81
9	सितम्बर, 2023	9039.06
10	अक्टूबर, 2023	9098.22
11	नवंबर, 2023	9144.24
12	दिसंबर, 2023	9124.52
	योग/ औसत सूचकांक	107600.93 ÷ 12 = 8966.74 (8967)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8967 घोषित करता हूँ जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरा को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वये/पांच/2024/15067-~~316~~ दिनांक 24/05/2024 के अनुसार जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8967 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के उपर  $(8967-5299 = 3668$  पाइन्ट) 3668 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 36.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्त दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

**अनुसूची - ई**

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	रुपये 110.68 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 619.81 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 619.81 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।


नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पैसे 9 रुपये 68 पैसे (8.33 प्रतिशत), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5 प्रतिशत), एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2. रिलाई श्रमिक</b>			
<b>अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना</b>			
1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु. 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 89.07
2. यदि कट्टे पर दोनो ओर लेबल लगाया जाता है।	रु. 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 92.94
<b>ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य</b>			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रु. 45.95 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 82.64
2. झिल्ली लगाना	रु. 33.54 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 27.51 (03 पैसे प्रति 4000)	रूपये 61.05
3. लेबल लगाना	रु. 12.84 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रूपये 22.01
4. पूड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 13.25 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रूपये 22.42
<b>स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :-</b>			
1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु. 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.72 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रूपये 339.36
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रु. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.72 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रूपये 360.31
3. झिल्ली तथा लक्की झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.72 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रूपये 360.31

नोट - बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/चालक (भारी वाहन), एकउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर ।
- 2-अर्द्धकुशल- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्के वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी




**Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)**

**Effective from 01.04.2024**

**V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2024**

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	36.68
3.	Leave with Salary ( @ 5% of total wages)	05.53
4.	Total Wages	116.21
5.	Bonus ( @ 8.33% of total wages)	9.68
6.	P.F. contribution of Employer ( @ 10% of total wages)	11.62
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less: Contribution of Employer (-)	137.51
8.	Total Wage + Bonus	125.89
9.	Less P.F. Contribution of Employee ( @ 10% of Total Wages(-)	11.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	114.27

  
**(Swatantr Kumar Singh)**  
**Labour Commissioner,**  
**Madhya Pradesh, Indore**





श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/ 15317-566

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

**अधिसूचना**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1 जुलाई, 2023	402.34
2 अगस्त, 2023	400.90
3 सितम्बर, 2023	396.00
4 अक्टूबर, 2023	398.59
5 नवम्बर, 2023	400.61
6 दिसम्बर, 2023	399.74
योग/ औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/15317-566 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माही का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (400-386) = 14. पाईन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $25 \times 14 = 350$  रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $400 - 239 = 161$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि (25X161) रुपये 4025/- प्रतिमाह अथवा  $(4025 \div 26) =$  रुपये 154.81 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 9100 रुपये या  $9100 \div 26 = 350$  रुपये प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से निम्नानुसार देय है :-


(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउंड अप में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीडिया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्राइवर (चालक) हल्के वाहन, टायरिस्ट, क्लर्क बिलमैन	5075	195.19	4025	154.81	9100	350	350
2	ट्रक में माल ढहाने या उतारने या बीडियों के पूरों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूतच, चौकीदार	4945	190.19	4025	154.81	8970	345	345
3	ड्राइवर (चालक) भारी वाहन, एफाउन्टेंट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोंडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	5225	200.96	4025	154.81	9250	355.77	356

#### स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) पर आधारित है। 5299

- सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जावेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
  - 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
  - 7- गारण्टी वेज से कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
  - 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
  - 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
  - 10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

  
 (स्वतंत्र कुमार सिंह)  
 श्रमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इन्दौर



**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2024/ 15567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024


**अधिसूचना**

**अगरबत्ती उद्योग**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर दिगल माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/ औसत सूचकांक	$2398.18 \div 6 = 399.70 (400)$

तथा दिगल छःमाही का औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय है।

  
 (स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप  
अगरबत्ती उद्योग**

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2024/.../15567...816 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माहों का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर  $(400-386) = 14$  (पाईन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $25 \times 14 = 350$  रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $400-241=159$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये  $25 \times 159 = 3975$  प्रतिमाह या  $3975 \div 26 = 152$  रुपये 88 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 159 पर  $(159 \div 4 = 39.75)$  रुपये 39.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

**अनुसूची - एफ**

**अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेंट्स)	22.00	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 61.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पकेट बन्द करना।

**बिना सिलोफेन या जिलेटिन के**

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 20.48	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 52.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.14
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.14
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 27.23	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 66.98
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 36.58	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 89.05
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 41.54	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 105.14
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 106.72
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 52.76	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 132.26

**सिलोफेन या जिलेटिन के**

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.14
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 66.35
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 33.00	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300	रूपये 85.47

			(33 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 34.48	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 86.95
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 37.03	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 89.50
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 106.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 51.00	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 130.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैंकड़ा रु. 54.47	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 133.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पक करना निम्न संख्या में अगरबतियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 16.98	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 44.01
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 17.80	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 44.83
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 21.30	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.10
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 22.19	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.99
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 66.35
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकड़ा रु. 28.70	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400	रूपये 68.45



		(25 पैसा प्रति बिन्दु)		
<b>(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।</b>				
1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 3.85	रु. 6.36 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)		रूपये 10.21
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 4.44	रु. 7.95 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)		रूपये 12.39
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकडा रु. 36.34	रु. 11.13 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)		रूपये 47.47

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी  
दिनांक 01.04.2024 से देय

(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुंजा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	5939	228.42	3975	152.88	9914	381.31	381
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला.	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
3	एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477

नोट - अगरवर्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउन्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छःमाही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील महगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जायेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जायेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/अन्व./पांच/2024/ 15817 - 16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की छः माही का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माही में मातृय किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के उपर (400-386)= 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है:  
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कटर्स	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

**अनुसूची - स**

**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

**अनुसूची - क**

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अर्द्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

**अनुसूची - द (कृषि नियोजन)**

जुलाई से दिसंबर, 2023 छःमाहों का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 है, इसके पूर्व की छः माहों का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272

### बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

#### अनुसूची - ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीडी बोलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 68 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बोलने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमिकों से 11 रुपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 62 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

#### अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छ.माही में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

#### अनुसूची - एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	रु. 39.75	रुपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	22.00	रु. 39.75	रुपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसृत प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगरे उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

3- राज्.शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.परिपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

### प्रेस विज्ञापित

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 400 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के ऊपर 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से  $25 \times 14 = 350.00$  रुपये (तीन सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3975/- प्रतिमाह अथवा रुपये 152.88 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10175/- या प्रतिदिन रुपये 391.35, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 11032/- या प्रतिदिन रुपये 424.31, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12410/- या प्रतिदिन रुपये 477.31 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13710/- या प्रतिदिन रुपये 527.31 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 336/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 8158/- या प्रतिदिन रुपये 271.93 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटें रुपये 9.68 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रुपये 05.53 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि वाबंदे नियोजक का अंशदान रुपये 11.62 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 137.51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 114.27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाही का औसत 400 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 386 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-241) 59 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-386) औसत 14 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 61.15 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रुपये 61.75 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण

## स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/16067-069  
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 24/5/24

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सम्बन्धित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(स्वतंत्र कुमार सिंह)  
श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर





श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/

16070-110


इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, बल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप सचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- संभार संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- संभार कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- संभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।  
 33- संचालक / समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।  
 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।  
 35- समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।  
 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।  
 37- सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।  
 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।  
 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।  
 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।  
 41- लेबर ड्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिलों में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

  
 (स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर



## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/

16111-360

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इन्दौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र.भयन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर डिप्टी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2024 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई, 2024 को पारित स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाईट [www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर